न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 14 / 2025

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर		पुरूषोतम दास पुत्र ताराचंद जाति खत्री निवासी वजीरों नाईयों का बास, बाडमेर (मैसर्स हिंगलाज नाश्ता कॉर्नर नगर परिषद के पास, दुकान नंबर 01 बाड़मेर का विक्रेता एवं मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(i) सहपठित धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भूरचंद जांगिड़ उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(i) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि श्री मनीष सोनी द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स हिंगलाज नाश्ता कॉर्नर नगर परिषद के पास, दुकान नंबर 01 बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **19.06.2024** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **यूज्ड सोयाबिन ऑयल (यूज्ड कुकिंग ऑयल)** जो कि 05 किलो पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **1600 ग्राम यूज्ड सोयाबिन ऑयल (यूज्ड कुकिंग ऑयल)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2585** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **यूज्ड सोयाबिन ऑयल (यूज्ड कुकिंग ऑयल)** का नमूना वास्ते जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:25 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **यूज्ड सोयाबिन ऑयल (यूज्ड कुकिंग ऑयल)** का नमूना **अनसेफ (Unsafe)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूना की जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला से कराये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसुर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **02.09.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह जवाब पेश किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से 112 रूपये में तेल खरीदने का जो कथन किया गया है, वह गलत किया गया है, क्योंकि अप्रार्थी अपनी उक्त दुकान में नाश्ता बनाकर बेचने का कार्य करता है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो तेल का सेम्पल भरा है, वह वास्तव में कचौरी वगैरह बनाकर जो वेस्टेज तेल होता है, उसको अलग रखा गया था तथा उक्त तेल से अप्रार्थी द्वारा सर्फ साबून इत्यादि बनाने में उपयोग में लेता है, उस तेल का उपयोग खाद्य पदार्थों में नहीं लिया जाता है। अतः मामला खारिज योग्य है।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **02.09.2024** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **Polar Compound% by wt** जिसका मानक स्तर **Not more than 25 (used Vegetable oil)** के मुकाबले **31** पाया गया है, जो कि मानक स्तर का नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:25 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह जवाब पेश किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से 112 रूपये में तेल खरीदने का जो कथन किया गया है, वह गलत किया गया है, क्योंकि अप्रार्थी अपनी उक्त दुकान में नाश्ता बनाकर बेचने का कार्य करता है तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो तेल का सेम्पल भरा है, वह वास्तव में कचौरी वगैरह बनाकर जो वेस्टेज तेल होता है, उसको अलग रखा गया था तथा उक्त तेल से अप्रार्थी द्वारा सर्फ साबून इत्यादि बनाने में उपयोग में लेता है, उस तेल का उपयोग खाद्य पदार्थों में नहीं लिया जाता है। अतः मामला खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 12,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:46:25 IST
Reason: SelfAttested